झारखण्ड सरकार

आदिम जनजाति के सदस्यों के लिए विशेष बीमा कार्यक्रम
जन - श्री बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के अनुसूचित आदिम जनजाति (PRIMITIVE TRIBES GROUPS) के परिवार के मुखिया का 5 वर्षों के लिए बीमा कराया जाएगा। बीमा की प्रिमियम की राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के प्रथम वर्ष में राज्य के 14000 आदिम जनजातियों के परिवारों का बीमा कराया जाएगा। लाभुक की उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष की होगी।

क्रियान्वयन एजेंसी – भारतीय जीवन बीमा निगम

प्रिमियम की राशि :–

प्रिमियम की राशि रू0 200/– प्रति सदस्य प्रति वर्ष है। इस राशि से रू0 100/– प्रति सदस्य प्रति वर्ष का वहन कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाएगा तथा शेष रू0 100/– का वहन भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोष से किया जाएगा। यह राशि सीधे भारतीय जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। बीमा से लाभ :–

1. स्वाभाविक मृत्यु होने पर रू0 20,000/–
2. दुर्धटना में मृत्यु होने पर रू0 50,000/–
3. दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई अपगंता होने पर रू0 50,000/–
4. दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता होने पर रू0 25,000/–

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

योजना का क्रियान्वयन :–

इस योजना के किर्रयान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में उपायुक्त द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा। अधिकारी के उपलब्ध नहीं रहने पर किसी गैर सरकारी संस्था को प्राधिकृत किया जाएगा, जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इस नोडल एजेंसी का कार्य निम्न प्रकार होगा :–

1. योजना के अनतर्गत सदस्यों का निबंधन।
2. सदस्यों के निबंधन –सह - मनोनयन प्रपत्रों का संघारण।
3. समूह के प्रिमियम भुगतान सहित भारतीय जीवन बीमा निगम को डाटा प्रस्तुत करना।
4. दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना ।
5. नवीकरण प्रिमियम के साथ नवीकरण का आयोजन करना।

नोडल एजेंसी को लाभ :–

उपयुर्क्त कार्य करने के लिए उपायुक्त द्वारा चयनित नोडल एजेंसी को निम्न रूप से लाभ देय होगा :–

1. योजना के आरम्भ में प्रति सदस्य रू0 4/– की दर से प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति बशर्ते कुल सदस्यों की संख्या 250 से अधिक हो तथा अधिकतम राशि रू0 50,000/– हो।
2. योजना के नवीकरण हेतु प्रति सदस्य रू0 2/– की दर से प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम राशि रू0 10,000/– हो।

कमीशन के रूप में उपयुर्क्त राशि का भुगतान नोडल एजेंसी को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। नोडल एजेंसी योजना की विस्तृत जानकारी भारतीय जीवन बीमा निगम के पेन्सन एवं ग्रूप स्कीम इकाई से प्राप्त की जा सकती है।